U;k;ky;

lgk;d dyDVj@mi[k.M vf/kdkjh

x<kekykuh&ckMesj

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2025/117 दर्ज तिथिः– 28.03.2025

1. कानाराम पुत्र केहनाराम
2. गंगा पुत्र लाला
3. गेनाराम पुत्र मोतीराम
4. घमण्डा पुत्र पना
5. चूनाराम पुत्र जुगताराम
6. जेठा पुत्र पना
7. तुलसाराम पुत्र मोतीराम
8. पुरोदेवी पत्नी केहनाराम
9. भेराराम पुत्र मोतीराम
10. मंगनाराम पुत्र केहनाराम
11. मेहा पुत्र देवा
12. माडुदेवी पत्नी देवाराम
13. लछा पुत्र पना
14. लुम्भा पुत्र पना
15. लाछी पत्नी लाला
16. विशना पुत्र लाला

जाति जाट साकिन निम्बलकोट तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. केसाराम पुत्र सालूराम
2. जेहाराम पुत्र सालूराम
3. जितेन्द्र कुमार पुत्र देराजराम
4. देउदेवी पुत्री देराजराम
5. पुरखाराम पुत्र सालूराम
6. मंगनी पुत्री रावाराम
7. मिरगोदेवी पत्नी देराजराम
8. वीरो पुत्री रावाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:13:14 IST
Reason: SelfAttested

जाति जाट साकिन सियागों की ढाणी चक नं. 1 ग्राम पंचायत निम्बलकोट तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

9. केला पुत्र मंगला
10. केसाराम पुत्र सालूराम
11. गोरखा पुत्र सालू
12. चेनाराम पुत्र सालूराम
13. चौथा पुत्र सालू
14. जोगाराम पुत्र हबताराम
15. झीणी पत्नी गुणेशा
16. ताजा पुत्र मंगला
17. तारा पुत्र खेता
18. धना पुत्र खेता
19. धाई पत्नी शंकरा
20. नगा पुत्र गुणेशा
21. पदमा पुत्र गुणेशा
22. बसराम पुत्र मंगला
23. बींजा पुत्र मंगला
24. भारू पुत्र सालू
25. मोहन पुत्र शंकरा
26. रमेश पुत्र मंगला
27. लूणाराम पुत्र हबताराम
28. हरचंद पुत्र शंकरा
29. अणसी पत्नी हीराराम
30. कबाराम पुत्र धनाराम
31. कानाराम पुत्र मांगाराम
32. चुकीदेवी पत्नी मांगाराम
33. चम्पा पुत्र चौथा
34. जालाराम पुत्र धनाराम
35. प्रकाश पुत्र हीराराम
36. पोपटराम पुत्र मांगाराम
37. फुआराम पुत्र धनाराम
38. मगाराम पुत्र मेघाराम
39. रेखीदेवी पत्नी प्रभुराम
40. सताराम पुत्र धनाराम
41. सवाईराम पुत्र मांगाराम
42. हासीदेवी पत्नी धनाराम

जाति भील साकिन सियागों की ढाणी चक नं. 1 तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:13:14 IST
Reason: SelfAttested

43. जीयण पुत्र मीठा जाति मुसलमान साकिन सियागों की ढाणी चक नं.1 तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
44. जोगाराम पुत्र नगाराम
45. नथीदेवी पत्नी नगाराम
46. मूलाराम पुत्र नगाराम
47. केसाराम पुत्र कलाराम
48. केसीदेवी पत्नी भीखाराम
49. कौशलाराम पुत्र दूदाराम
50. गिरधारीराम पुत्र पूराराम
51. भीखराम पुत्र दूदाराम
52. रामाराम पुत्र पूराराम
53. हीराराम पुत्र दूदाराम
54. गेहरो पत्नी देवाराम
55. रामाराम पुत्र देवाराम
    जाति जाट साकिन निम्बलकोट तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
56. मगाराम पुत्र भीखाराम जाति सांसी साकिन निम्बलकोट तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
57. कान्तीलाल पुत्र प्रभुलाल
58. भगवतीदेवी पत्नी प्रभुलाल
59. भंवरीदेवी पत्नी प्रभुलाल
60. अशोककुमार पुत्र रतनचंद
61. अशोक कुमार पुत्र तुलछीराम
62. अशोक कुमार पुत्र हीरालाल
63. ओमप्रकाश पुत्र रतनचंद
64. ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल
65. कानमल पुत्र हीरालाल
66. किशोरीमल पुत्र रतनचंद
67. गोतमचंद पुत्र रतनचंद
68. धनराज पुत्र तुलछाराम
69. पारसमल पुत्र हीरालाल
70. मदनलाल पुत्र तुलछीराम
71. माणकचंद पुत्र रतनचंद
72. मीठालाल पुत्र रतनचंद
73. मोहनलाल पुत्र तुलछीराम
74. रमेश कुमार पुत्र रतनचंद
75. राणमल पुत्र तुलछीराम
76. सम्पतराज पुत्र तुलसीराम
77. हरखचंद पपुत्र तुलछीराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:13:14 IST
Reason: SelfAttested

जाति महाजन साकिन निम्बलकोट तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

78. कोशलाराम पुत्र हेमाराम
79. रामाराम पुत्र हेमाराम
80. दूदाराम पुत्र हेमाराम
    जाति जाट साकिन निम्बलकोट तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.....असल अप्रार्थीगण

81. तहसीलदार नोखड़ा जिला बाड़मेर

.....तकमीली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री ठाकराराम
अप्रार्थीगणः— श्री नारायण कुमावत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 16.06.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 175/56.2660 है0, 384/7.8069 है0, 384/2/0.4126 है0, 384/5/7.5075 है0, 460/1.2378 है0 मौजा निम्बलकोट पटवार मण्डल निम्बलकोट एवं आराजी खसरा संख्या 393/23.9460 है0 मौजा ग्राम सियागों की ढाणी चक नं. 1 तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुड़ामालानी के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार नोखड़ा के आदेश की पालना में दिनांक 21.11.2024 को पटवारी हल्का निम्बलकोट द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 175/56.2660 है0, 384/7.8069 है0, 384/2/0.4126 है0, 384/5/7.5075 है0, 460/1.2378 है0 मौजा निम्बलकोट पटवार मण्डल निम्बलकोट एवं आराजी खसरा संख्या 393/23.9460 है0 मौजा ग्राम सियागों की ढाणी चक नं. 1 तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर की पत्थरगढ़ी दिनांक 21.11.2024 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:13:14 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण संख्या 44 ता 46 असालतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थीगण संख्या 44 ता 46 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 44 ता 46 की खातेदारी आराजी के मध्य वक्त बन्दोबस्त के समय से माठ स्थित है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी से मौके पर सीमाज्ञान नहीं करवाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा आवेदन वर्णित सीमाज्ञान रिपोर्ट एकपक्षीय बनाई गई है। आगे कथन किया कि प्रार्थीगण संख्या बल में अधिक होने से अप्रार्थी संख्या 44 ता 46 की आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः काउण्टर आवेदन पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण की आराजी के साथ—साथ अप्रार्थी संख्या 44 ता 46 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 163/1/7.6046 है0 मौजा निम्बलकोट तहसील नोखड़ा का भी सीमाज्ञान करवाते हुए पक्के नेखम स्थापित किये जाने के आदेश फरमावें।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 21.11.2024 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। दौराने बहस अप्रार्थी संख्या 44 ता 46 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण की आराजी के साथ—साथ अप्रार्थी संख्या 44 ता 46 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 163/1/7.6046 है0 मौजा निम्बलकोट तहसील नोखड़ा का भी सीमाज्ञान करवाते हुए पक्के नेखम स्थापित किये जाने का निवेदन किया गया।

4. मैंने बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.****—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:13:14 IST
Reason: SelfAttested

की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2076—2079 ग्राम निम्बलकोट में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार नोखड़ा द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम निम्बलकोट के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 21.11.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार नोखड़ा के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा को मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 44 ता 46 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण की आराजी के साथ—साथ अप्रार्थी संख्या 44 ता 46 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 163/1/7.6046 है0 मौजा निम्बलकोट तहसील नोखड़ा का भी सीमाज्ञान करवाते हुए पक्के नेखम स्थापित किये जाने का निवेदन किया गया। चूंकि तहसीलदार नोखड़ा की रिपोर्ट अनुसार आवेदन वर्णित आराजी के संबंध में पक्षकारान के मध्य विवाद है। अतः अप्रार्थी संख्या 44 ता 46 की आराजी खसरा संख्या 163/1 के नेखमबंदी आदेश से पूर्व अप्रार्थी संख्या 44 ता 46 की उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। इस हेतु अप्रार्थी संख्या 44 ता 46 तहसीलदार नोखड़ा के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर सीमाज्ञान करवाने हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 44 ता 46 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 162/1 के सीमाज्ञान ही सीमा का निर्धारण होने से अप्रार्थी संख्या 44 ता 46 की उक्त आराजी पर नेखमबंदी आदेश पारित किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 44 ता 46 का अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी हेतु किया गया निवेदन अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 175/56.2660 है0, 384/7.8069 है0, 384/2/0.4126 है0, 384/5/7.5075 है0, 460/1.2378 है0 मौजा निम्बलकोट पटवार मण्डल

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:13:14 IST
Reason: SelfAttested

निम्बलकोट एवं आराजी खसरा संख्या 393/23.9460 है0 मौजा ग्राम सियागों की ढाणी चक नं. 1 तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार नोखड़ा को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 07.07.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:13:14 IST
Reason: SelfAttested